International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 10, October- 2017, pp. 599-605
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारत का संविधान और मानवाधिकार

शोधार्थी – सुमन मीना
राजनीती विज्ञान विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविध्यालय जोधपुर

भारतीय संविधान में महिला मानवाधिकारों की वैधानिक स्थिति भारतीय संविधान विष्व का सबसे विषाल निर्मित व लिखित संविधान होने का गौरव रखता है इस लिहाज से उसमें सभी मानवों को अधिकारों को स्पष्ट रूप से स्थान मिलना चाहिए। चूकि हम महिलाओं के मानवाधिकारेां की चर्चा कर रहे है तो भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं का जो अधिकार प्रदान किए गए है तथा जिनका उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वे अधिकार है।

1. **सती (निवारण) अधिनियम 1987 –**

इस अधिनियम की धारा 3 में सती धर्म करने वे प्यत्न के लिए 6 महीने तक की कारावास या र्जुमाना दोनों ही सजाओं का प्रावधान है।

धारा 4 सती धर्म के दुष्प्रेरण हेतु मृत्यु या आजीवन कारावास।

धारा 5 में सती ध्णर्म के गौरवान्वयन हेतु 7 वर्ष कारावास व र्जुमाना।

धारा 17 के तहत सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और ग्रामअधिकारों को पुलिस को इस धर्म की सूचना देने व सहायता करने हेतु वैधानिक रूप से बाहय किया गया है।

2. **बाल विवाह प्रतिरोध –**

बाल विवाह प्रतिरोध (सेषोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विवाह के लिए लड़कियों की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

3. स्त्री अषिष्टरूपण –

स्त्री अषिष्टरूपण (प्रतिबन्ध) नियम 1986 की मुख्य विषेषताएं निम्न है –

महिलाओं के अषिष्टरूपण की परिभाषा के अनुसार किसी महिला के शरीर को इस प्रकार से चित्रित किया गया हो, जिससे उसके षरीर के किासी भी हिस्से को उस ढंग से न चित्रित किया गया हो, जिससे वह अषिष्ट दिखाई दे अथवा उसका मान घटाए या सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचाये ।

समस्त विज्ञापन, प्रकाषन आदि जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की किसी भी रूप में अष्लीलता है, को प्रतिबित किया जाता है।

4. औषधि द्वारा गर्भ समप्ति संबधी अधिनियम 1971 –

महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु यह कानून निर्मित है इसमें महिला चिकित्सक या विषेषज्ञ द्वारा गर्भसमाप्त करवा सकती है।

5. चलचित्र अधिनियम 1952 –

ऐसी फिल्मों पर रोक जिसमें महिलाओं की मर्यादा भंग होती हो व उन्हें अष्लील मुद्रा में दिखाया गया है।

6. विषेष विवाह अयिानियम 1954 –

इसके अन्तग्त कोई महिला अपना धर्म बदले बिना किसी भ्न्नी धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकती है।

7. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 –

ठस अधिनियम के अन्तर महिलाओं को पैतृक सम्पति में पुत्रों के समान ही अधिकार दिया। यह अधिकार कानूनी कार्यवाही के मार्फत प्राप्त किया जा सकता है।

8. दहेज प्रतिषेध अधिनियम –

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को दण्ड के मामले में अधिक सषक्त करने के उद्देष्य से सन् 1986 में पुनः संषोधित किया गया तथा अधिनियम में दहेज लेने तथा देने के लिए उकसाने के लिए न्यूनतम दण्ड 5 वर्ष की कैद तथा 15,000 रूप्ये जर्माना का प्रावधान कर दिया गया है।

9. अनैतिक व्यापार (निरोधन) अधिनियम –

अनैतिक व्यापार (निरोधन) अधिनियम, 1986 महिलाओं व लड़कियों में वैष्यावृत्ति के उद्देदष्य अनैतिक व्यापार को प्रतिबंधित करता है। इसमें तलाषी के दौरान8 गवाही का उसी वस्ती का होना आवष्यक है।

10. हिन्दू विवाह अधिनियम –

हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 सभी हिन्दूओं व बौद्धों पर लागू होता है। इस अध्णिनियम के महत्वपूर्ण निम्न है –

1. वर/वधु की पहली पत्नी/पति जीवित नहीं होनी चाहिए।
2. वह मानसिक रोगीनहीं होना चाहिए।
3. लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लडकी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

ऐसे किसी पत्र अथवा पुस्तक, जिसमें महिलाओं का अषिष्ट ढंग से चित्रित किया गया है, कि बिक्री अथवा प्रचार निषिद्ध है।

भारतीय दण्ड संहिता में यह प्रावधान है कि महिला गवाहों को पुलिस थाने में नहीं बुला सकती है, महिलाओं को गिरफ्तार करने तथा उसे स्थान की तलाषी लेने, जहां महिला रहती है, के नियम काफी कठोर है।

लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है ऐसे कोई भी अवांछित लैगिक दुर्व्यवहार (चाहे वह

प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से) जैसे –

1. अवांछित शारीरिक सम्पर्क।
2. लैंगिक अनुमोदन के लिए दावा या निवेदन।
3. अष्लील टिप्पणी।
4. अष्लील व्यवहार प्रदर्षन करना।
5. कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक अथवा लिखित व्यवहार, जो अष्लील हो।

11. अधिकारों का संरक्षण –

महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने का महत्वपूर्ण प्रयास तब किया गया जब भारत सरकार ने 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला अयोग का गठन किया। इसका मुख्य कार्य महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षापयों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना तथा महिलाओं से संबंधित षिकायतों पर जांच करना तथा स्वप्रेरणा से जाचं आरम्भ करना। सभी राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राज्य महिला आयोग गठित किया गया।

हिन्दू कानून के अनुसार महिला अधिकारों का विवेचन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है –

1. कोई भी स्त्री सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में 12 से 20 सप्ताह तक का गर्भपात निष्णात चिकित्सकों के पैनल की देखभाल में कर सकेगी।
2. समान कार्य के लिए महिला एवं पुरूष को समाज वेतन मिलेगा।
3. काम के स्थल पर हाजिरी देने के बाद महिला से यदि काम नहीं लिया जाए, तो भी वह वेतन पाने की अधिकारी होगी।

4. प्रसूति पूर्व एक बाद में पूर्ण वेतन सहित छः सप्ताह का अवकाष अथवा बालक के जन्म के पष्चात् बारह सप्ताह का अवकाष लेने का महिला को अधिकार रहेगा।

5. किसी भी प्रकार के गुनाह पर पूछ परख हेतु सूर्यास्त के पष्चात और सूर्चोदय से पूर्व, महिला को पुलिस चौकी में नहीं बुला सकेंगे। महिला अपराधी की देखभाल हेतु महिला पुलिस की व्यवस्था की जाएगी।

6. विधवा, परित्यक्ता स्त्री जो 18 वर्ष से बड़ी है वह बालक को गोद ाले सकती है।

7. विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।

8. प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार वर–वधु यदि हिन्दूनहीं हो तो कोर्ट के प्रमाण पत्र के आधार पर विवाह किया जा सकता है।

9. हिन्दू विवाह नियम के अनुसार यदि पत्नी जीवित हो तो दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है।

10. विवाह के समय स्त्री का दिए गए सामान पर सिर्फ स्त्री का ही अधिकार रहेगा तथा यह स्त्रीधन कहलायेगा।

11. विवाह के 7 वर्श्ज्ञ के अन्तर्गत यदि कोई सत्री आत्म हत्या करे तो उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में कोर्ट यह मानकर चलती है कि उसकी मौत पति तथा ससुराल पक्ष के कारण हुई है।

12. पति द्वारा शारीरिक या मानसिक अत्याचार किए जाने, पति धर्म परिवर्तन करे, सन्याय लेने, पागल हो जाने, अथवा भंयकर कुष्ट रोग हो जावे तो स्त्री सम्बन्ध विच्छेद कर सकती है।

13. पति से अलग होने वाली कोई भी निराक्षित हिन्दू स्त्री पति से स्वयं का खर्च मांगने का अधिकार रखती है।

14. यदि पत्नि धर्म बदल ले अथवा व्यभिचारिणी हो तो पति से किसी भी प्रकार का

खर्च मांगने का अधिकार नहीं रखती है।

15. विधवा स्त्री पुनर्विवाह करने की अधिकारी है, परन्तु विवाह के बाद, उसे पूर्व पति की सम्पत्ति का हक नहीं मिलेगा।

16. स्त्री की मर्जी के बिना, नषा करके अथवा मानसिक रूप से कमजोर स्त्रiी के साथ सम्भोग, बलात्कार है।

17. गर्भपात कानूर स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए माता के षारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने, गर्भ के बलात्कार द्वारा ठहरने, विकलांग बालक के जन्म का डर, अथवा परिवार नियोजन सम्बन्ध असफलता से कोई भी कारण जवाबदेही हेतु आवष्यक है।

समाज एवं सरकार के साथ–साथ महिलाओं के व्यक्तित्व को उभारने तथा स्वयं के संरक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत कार्य की विवेचना की है –

1. स्त्रियों को स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित करना होगा।

2. उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना पडेगा।

3. स्त्रियों को स्वयं के रक्षा संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त करनी होगी।

4. स्त्रियों को कानून सम्बन्धी केन्द्र तथा पुलिस चोकी से अलग विभाग एवं कार्यालय का निर्माण करना होगा।

5. हर राज्य में अलग–अलग महिला प्रकोष्ठ स्थापित करने होगे।

6. व्यसन मुक्त समाज की रचना हेतु प्रयास करना होगा।

7. महिलाओं को अधिक से अधिक षिक्षित बनाना होगा तथा महिला षिक्षा सम्बन्धी व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा।

8. महिला विकास कार्यक्रम हाथ में लेने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना

होगा।

9. महिला विकास कार्यक्रम हाथ में लेने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना होगा।

10. महिला उन्नति हेतु आर्थिक सहायता योजना बनानी होगी।

11. महिलाओं को जागरूक करने हेतु साहित्य तथा अन्य माध्यमों एवं योजनाओं को उपयोग में लाना होगा।

12. महिला दक्षता वृद्धि की भावना विकसित करनी होगी।

13. महिला समस्याओं को लैंगिक समस्या के रूप में नहीं देखकर मानव अधिकार के संदर्भ में देखना होगा, क्योंकि स्त्री और पुरूष विष्व रचना के दो पहिए है। यदि इनमें एक पहिया बड़ा और दूसरा छोटा है तो परिवार रथ के असन्तुलित होने का भय निष्चित ही होगा।